

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 46/2019

निर्णय दिनांक — 08.05.2019

मानमल पिता घीसालाल मीणा, आयु वयस्क, निवासी जलियां, तहसील निम्बाहेड़ा।

— प्रार्थी

// बनाम //

1. कुका पिता केशुराम मीणा, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
2. डाडमचंद पिता केशुराम मीणा, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
3. रामलाल पिता हेमराज मीणा, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
4. सुरेश पिता घीसालाल मीणा, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
5. भग्गु पत्नी फुलचंद मीणा, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
6. लक्ष्मीलाल पिता पन्नालाल जटिया, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
7. मांगीलाल पिता नाथु कुम्हार, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
8. दयाराम पिता तोलीराम मीणा, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
9. अम्बालाल पिता श्यामलाल मीणा, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
10. बद्रीलाल पिता घीसालाल जटिया, आयु वयस्क, निवासी पिपलियां कलां।
11. बंशीलाल पिता घीसालाल जटिया, आयु वयस्क, निवासी पिपलियां कलां।
12. मोहनी पुत्री लाला जटिया, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
13. बलवीर सिंह पिता सज्जन सिंह नाहर जैन, आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेड़ा।
14. प्रकाश पिता डाडमचन्द मीणा, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
15. उदयलाल पिता बापुलाल मीणा, आयु वयस्क, निवासी जलियां।
16. पृथ्वीराज पिता किशना मीणा, आयु वयस्क, निवासी जलियां, तहसील निम्बाहेड़ा।

— विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट

### आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा जलियां की खाता संख्या 208 की आराजी नं. 689, 869/75, 870/89, 871/330, 874/569 कुल किता 5 कुल रकबा 2.1300 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा जलियां की खाता संख्या 208 की आराजी नं. 689, 869/75, 870/89, 871/330, 874/569 कुल किता 5 कुल रकबा 2.1300 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 08.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़ा

